

(91)

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय

डी०के०एस० भवन, रायपुर 492001


:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक: 15/6/2007

क०/ 2426/209-190/2006/14-3 :: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2007 के नियम 3 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, "प्रबंध संचालक",

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड को विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने, नवीकृत करने या प्रबंध संचालक से इंकार करने के प्रयोजन के लिये प्राधिकारी/अधिकारी अधिसूचित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(प्रदीप कुमार दवे)


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

रायपुर, दिनांक: 15/6/2007

पृष्ठा. क०/ 2427/209-190/2006/14-3
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
2. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ०ग०)।
3. स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन।
4. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग।
5. ✓ प्रबंध संचालक, छ०ग० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर।
6. कलेक्टर, जिला.....(सर्व)।
7. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव (छ०ग०) की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

नियमन
